

# दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई



ॐ प्रीति श्रीनिवास दिव्यांगजनों के साथ साथ सभी देशवासियों के लिए भी एक द्रष्टांत है । ॐ  
- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी



ॐ प्रीति श्रीनिवास सभी दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ानेवाला कार्य कर रही है । ॐ  
- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई



# निरामय हेल्थ पॉलिसी

## पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगों को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रू. ५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगों के लिए सिंगल प्रीमियम

## लाभ

रू. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।  
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

## आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

### सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरूरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)



## संपादकीय

समाज में दिव्यांगों की स्वीकृति और समान अधिकारों के लिए केवल सरकार या अन्य स्वैच्छिक संगठन ही कार्यरत है ऐसा नहीं है, बल्कि प्रीति श्रीनिवासन जैसी महिलाएँ भी कार्यरत हैं। समाज और सरकार को राह दिखानेवाली और आनंददायी बात यह है कि किसी अकस्मात के कारण दिव्यांग बनी प्रीति स्वयं दिव्यांग होने के बाद भी केवल अपने लिए ही नहीं पर समाज में उसके जैसी बीमारियों से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए सोलफ्री जैसा संगठन बनाकर कार्य कर रही है। स्वयं जिस समस्या से गुजरने पर उसे जो अनुभव हुए उसने अन्य दिव्यांगों के लिए सोलफ्री जैसा संगठन खोलकर कार्य करने के लिए उसे प्रेरित किया है। प्रीति आज कितने ही दिव्यांग लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनी है। प्रीति को अपने इस कार्य के लिए अनेको शुभकामनाएं और आशीर्वाद है।

दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी के चलते कई कानून बना रही है। कानून तो बन जाते हैं लेकिन उसका अच्छी तरह से पालन हो और लोगों तक उस कानून की जानकारी सरलता से उपलब्ध हो यह भी आवश्यक है। दिव्यांगजनों के कानून को लेकर कई बार देश की सर्वोच्च अदालत सरकार को कई दिशा निर्देश देती है। इन दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से पालन होगा तो सभी दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने की कवायद सफल होगी।

# दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

फ़रवरी : 2023, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 74

✦ प्रेरणास्रोत और संपादक ✦

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८  
प. पू. संतश्री सद्गुरु ॐऋषि स्वामी।

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेंट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200



## पहले थी हीरो, अब 'सुपर हीरो'! प्रीति श्री निवासन 'सोलफ्री' दिव्यांगों की उम्मीदों की किरण सहायक संस्था

प्रीति श्रीनिवासन वीलचेयर से उठ नहीं सकती, लेकिन दूसरों का सहारा बखूबी बन रही है। प्रीति को यह जज्बा और हौसला मिला खिलाड़ी होने की वजह से। प्रीति एक एनजीओ-- सोलफ्री चलाती है जो विकलांगों को तमाम तरह की मदद मुहैया कराता है। प्रीति हमेशा से दूसरों के लिए प्रेरणा रहीं। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट से इस कदर लगाव था कि 300 लड़कों के कैंप में वह अकेली लड़की थी। बाद में वह तमिलनाडु की अंडर 19 क्रिकेट टीम की कैप्टन बनी।



यही नहीं, स्वीमिंग में भी वह स्टेट चैंपियन थी। लोग उनके टैलेंट को देख तारीफ किए बिना न रह पाते, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था।

11 जुलाई 1998 को एक हादसे ने प्रीति की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। प्रीति की उम्र उस वक्त 18 साल थी। वह क्लास के दोस्तों के साथ बीच पर धमाचकड़ी कर रही थी कि अचानक लहरों के बीच प्रीति ने करंट-सा महसूस किया। जब तक वह समझ पाती कि

क्या हुआ, उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों ने किसी तरह प्रीति को पानी से बाहर निकालकर पॉन्डिचेरी के अस्पताल में पहुंचाया। वहां बिना पूरी जांच किए उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस कॉलर पहना दिया और आगे के इलाज के लिए चेन्नई भेज दिया। चेन्नई जाने में करीब 4 घंटे लगे। वहां जांच के बाद पता चला कि प्रीति को खतरनाक तरीके का पैरालिसिस हुआ है। प्रीति का मानना है कि अगर ये 4 घंटे

बर्बाद नहीं होते तो शायद उनकी हालत ऐसी न होती! प्रीति की कोशिश है कि 'सोलफ्री' के जरिए इमरजेंसी मेडिकल केयर यानी हादसे के शिकार मरीजों को फटाफट सही इलाज मुहैया करा सकें।

वह कहती है, 'जिंदगी के शुरुआती 18 साल मैंने एक हीरो की तरह बिताए थे। इस हादसे के बाद अचानक मेरी पहचान खो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं



खिलाड़ी थी, लेकिन वीलचेयर पर बैठने रहने पर मन खुदकुशी करने का करता था। विकलांगता किसी के शरीर के किसी हिस्से का बेकार हो जाना भर नहीं है, यह किसी के सम्मान, आत्मविश्वास और वजूद के खत्म होने जैसा होता है। लेकिन पैरेंट्स ने मुझे संभाला। हम चेन्नई से त्रिवन्नमलाई शिफ्ट हो गए। धीरे-धीरे मेरा आत्मविश्वास लौटा। मुझे सम्मान की जिंदगी देने के लिए मेरे पैरेंट्स अपनी जिंदगी भूल गए। मेरी मां ही मेरी भगवान हैं। पिता के देहांत के बाद 2011 में जब मां बहुत बीमार पड़ी तो उनकी एक ही चिंता थी-- उनके न रहने के बाद भी मैं सम्मान की जिंदगी जी सकूं। इसके लिए उन्होंने मुझे एनजीओ शुरू करने का आइडिया दिया और इस तरह 'सोलफ्री' की शुरुआत हुई।

सोलफ्री शुरू करने के बारे में बताते हुए वह कहती है कि- “मैं एक छोटे से मंदिरों के शहर में रहती हूँ और बहुत से लोगों को नहीं जानती। अगर मेरी दुनिया में ऐसा हो सकता है, तो मैं पूरे भारत में मेरे जैसे लोगों की संख्या की कल्पना कर सकती हूँ। मैंने खुद से कहा, "अगर इसके बाद मैं चुप हो जाऊँ और अपनी आवाज न उठाऊँ, अगर मैं असफलता के डर से खुद को कुछ सकारात्मक करने से रोकूँ, तो मैं खुद समस्या का हिस्सा बनूंगी, समाधान का हिस्सा नहीं।" मैंने बदलाव लाने का फैसला किया और इस तरह सोलफ्री का जन्म हुआ। सोलफ्री को 23 अगस्त,

2013 को तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु, भारत में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था।

मुझे रास्ते में हर कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि मुझे सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लोगों या बाहरी दुनिया से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। तिरुवन्नामलाई एक छोटा शहर है, और यहां के बैंक सोलफ्री के लिए खाता खोलना भी नहीं चाहते थे - हमें हर कदम पर उदासीनता, उदासीनता और कलंक का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने हमें बहुत मजबूत बना दिया।

सोलफ्री की अब तक की यात्रा ने केवल मेरे विश्वास को पुनर्जीवित करने का काम किया है कि जब कारण सही होगा, जब आवश्यकता वास्तविक होगी और प्रयास निःस्वार्थ होगा, तो ब्रह्मांड निश्चित रूप से सहाय प्रदान करेगा।”

**विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए सोलफ्री की पहल के बारे में बताते हुए प्रिती कहती है कि-**

“सोलफ्री का मुख्य लक्ष्य भारत में रीढ़ की हड्डी की चोट के बारे में जागरूकता फैलाना है और यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान में लाइलाज स्थिति के साथ रहने वालों को, जिसे WHO द्वारा दुनिया में सबसे दुर्बल करने वाली स्थिति करार दिया गया है, को नेतृत्व करने का अवसर मिले, गरिमा और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले। सोलफ्री का महिलाओं



पर विशेष ध्यान है, और हम गंभीर विकलांग महिलाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, फिर चाहे उन्हें रीढ़ की हड्डी की कोई चोट न हो। हमारा लक्ष्य चिकित्सा और व्यावसायिक पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, खेल में बेहतर अवसरों के माध्यम से पक्षाघात से जूझ रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें मुख्यधारा के समाज में पूरी तरह से फिर से शामिल करना है।

## सोलफ्री के द्वारा मौजूदा परियोजनाएं:

**मासिक स्टाइपेन्ड कार्यक्रम:** मासिक स्टाइपेन्ड कार्यक्रम उन लोगों की सहायता करता है जो कम आय वाली पृष्ठभूमि से हैं और जो दिन-प्रतिदिन अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक वर्ष की अवधि के लिए 1000 प्रति माह। हम वर्तमान में 21 लाभार्थियों का समर्थन कर रहे हैं और इस संख्या को 25 तक बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

**व्हीलचेयर डोनेशन ड्राइव:** सोलफ्री वर्तमान में चार अलग-अलग प्रकार के व्हीलचेयर प्रदान कर रहा है - 1. रेक्लाइनिंग 2. लाइट-फोल्डेबल 3. कमोड 4. मोटराइज्ड। व्यापक अनुसंधान और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, हमने अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्हीलचेयर को बाजार में मूल्य सीमा के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध उत्पादों के रूप में अपग्रेड किया है, और

हम पहले से कहीं अधिक व्हीलचेयर प्रायोजित कर रहे हैं।

**इंडिपेन्डेन्ट लीवींग प्रोग्राम:** अगर किसी की जेब में पैसा है, तो उसके साथ खराब व्यवहार नहीं किया जाता है। इसलिए, सोलफ्री का एक प्राथमिक लक्ष्य लाभार्थियों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। हम इसे व्यावसायिक प्रशिक्षण, सीड फंडिंग और सिलाई मशीन जैसे उपकरणों की खरीद के माध्यम से करते हैं जो उद्यमिता को सक्षम बनाते हैं।

'सोलफ्री' विकलांगों के आत्मविश्वास लौटाने और उनके टैलेंट को पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। यह लकवा के शिकार उन मरीजों को रिहाइश या आर्थिक मदद मुहैया कराता है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इन लोगों को स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वे दूसरों पर ज्यादा आश्रित रहें। एनजीओ ने 'थ्रोट फोर्ट' नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें लकवा के पीड़ित लोगों की आवाज को ही पहचान बनाने की कोशिश होती है। उन्हें ऑडियो बुक, रेडियो जॉकी, वॉइस डबिंग आर्टिस्ट, टेली मार्केटिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाती है।

प्रीति का कहना है कि इन 20 बरसों में एक इंसान के तौर पर मेरा ज्यादा विकास हुआ है। मुझे विश्वास हो गया है कि ऊपरवाले ने प्यार और खुशियां बिखरने के लिए मुझे चुना है।



## दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने की कवायद

- अपने रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त आपने कभी सोचा है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति कैसे अपनी व्हीलचेयर के सहारे सरकारी इमारतों की सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा? सार्वजनिक परिवहन के साधनों का बिना किसी सहायता के कैसे इस्तेमाल कर पाएगा?

- वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 2.21 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले दिव्यांगजनों की समाज में सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देने वाले कानूनों की उपस्थिति के बावजूद सरकारों ने इस ओर कम ही ध्यान दिया है।

- लेकिन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय-सीमा के अंदर दिव्यांगजनों की सार्वजनिक सुविधाओं तक पूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं।
- दरअसल, पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने समस-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश दिये हैं, ताकि सार्वजनिक अवसंरचना तक दिव्यांगजनों की सुलभ पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

- विदित हो कि सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) पारित किया जा चुका है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन अपरिहार्य हो जाता है।



- इस लेख में हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तथा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख

लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश क्या हैं?

### सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश

- क्या है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016?
- दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, वर्ष 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित होते ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बन गया जो वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है।



## दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की विशेषताएँ

### • विकलांगता की परिभाषा में बदलाव:

⇒ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया है।

⇒ दरअसल, इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।

⇒ साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई है।

### • आरक्षण की व्यवस्था:

⇒ गौरतलब है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।

### शिक्षा संबंधी सुधार:

⇒ इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता (benchmark-disability) से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

⇒ साथ ही सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।

### फंड की व्यवस्था:

⇒ दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 'राष्ट्रीय और राज्य निधि' (National and

State Fund) का निर्माण किया जाएगा।

⇒ उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड्स का इस नए फंड में विलय कर दिया जाएगा।

### अवसररचना संबंधी सुधार:

⇒ सुलभ भारत अभियान को मज़बूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक इमारतों (सरकारी और निजी दोनों) में दिव्यांगजनों की पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

### गार्डियनशिप की व्यवस्था:

⇒ यह विधेयक ज़िला न्यायालय द्वारा गार्डियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी।

### बेंचमार्क विकलांगता के लिये विशेष प्रावधान:

⇒ गौरतलब है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40 फीसदी विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

### अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:

⇒ दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिये प्रत्येक ज़िले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा।

⇒ नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानूनों को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र





सम्मलेन (यूएनसीआरपीडी) के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा करेगा।

- ⇒ भारत यूएनसीआरपीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह अधिनियम यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा।

## इस संबंध में सरकार के प्रयास

### सुगम्य भारत अभियान:

- ⇒ दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया।
- ⇒ इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक सक्षम और बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत तीन प्रमुख उद्देश्यों- विद्यमान वातावरण में सुगम्यता सुनिश्चित करना, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता तथा ज्ञान एवं आईसीटी के माध्यम से दिव्यांगों को सशक्त बनाना शामिल हैं।

### सुगम्य पुस्तकालय:

- ⇒ सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच "सुगम्य पुस्तकालय" की शुरुआत की गई है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं।
- ⇒ नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये अलग से व्यवस्था की गई है। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे- मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं।

### यूडीआईडी कार्ड:

- ⇒ भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड शुरू किया गया है।
- ⇒ इस पहल से दिव्यांग प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग-अलग कार्यों के लिये कई प्रमाण-पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगी।

- ⇒ इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

### स्वावलंबन योजना:

- ⇒ दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिये एक राष्ट्रीय कार्ययोजना की शुरुआत की गई है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा पाँच लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है।
- ⇒ इस कार्ययोजना का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

### चिंताएँ

- दिव्यांगजनों के लिये के लिये समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पूर्व में आरक्षित 3 प्रतिशत (अब 4 प्रतिशत) सीटों में से लगभग 1 प्रतिशत सीटों पर ही भर्तियाँ हो पाई हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अभी भी 73 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन श्रमशक्ति के दायरे से बाहर



हैं।

- मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं।
- सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।
- रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुगम्यता का आभाव विकलांगों के साथ-साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिये भी एक बड़ी समस्या है।

## समाधान

- नए अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ-साथ रोजगार चिंताओं का भी संज्ञान लिया गया है, फिर भी सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो।
- दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जा सके।
- यदि शिक्षा के अधिकार को अक्षरक्षः कार्यान्वित किया जाए तो दिव्यांग बच्चों के स्कूल न जाने की स्थिति बदल सकती है, जबकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है।

साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर ज़ोर देते हुए दिव्यांगजनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- रेलवे को सभी स्टेशनों को दिव्यांगजन सुगम बनाने के लिये एक कार्यक्रम तत्काल शुरू करना चाहिये और 'पोर्टेबल स्टेप सीढ़ी' जैसे उपायों को आजमाना चाहिये।

- (स्रोत- <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rights-of-persons-with-disabilities-act>)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत निशक्तता के 21 प्रकार एवं उनके पहचान के लक्षण		
<b>1. मानसिक मंदता (Mental Retardation)</b> • समझने/बोलने में कठिनाई • अभिव्यक्त करने में कठिनाई 	<b>2. ऑटिज्म (Autism Spectrum Disorder)</b> • किसी कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई • आँखें मिलाकर बात न कर पाना • गुमसुम रहना 	<b>3. सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)/पेलिसा/नर्व इंजरी</b> • पैरों में जकड़न • चलने में कठिनाई • हाथ से काम करने में कठिनाई 
<b>4. मानसिक रोगी (Mental Illness)</b> • अस्वाभाविक व्यवहार • खुद से बात करना • भ्रम जाल • मतिभ्रम • व्यसन (नशे का आदि) • किसी से डर/भय • गुमसुम रहना 	<b>5. श्रवण बाधित (Hearing Impairment)</b> • बहरापन • ऊँचा सुनना या कम सुनना 	<b>6. मूक निःशक्ता (Speech Impairment)</b> • बोलने में कठिनाई • सामान्य बोली से अलग बोलना • जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते 
<b>7. दृष्टि बाधित (Blindness)</b> • देखने में कठिनाई • पूर्ण दृष्टिहीन 	<b>8. अल्प दृष्टि (Low-Vision)</b> • कम दिखना (60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना) 	<b>9. चलन निःशक्ता (Locomotor Disability)</b> • हाथ या पैर अथवा दोनों की निःशक्ता • लकवा • हाथ या पैर कट जाना 
<b>10. कुष्ठ रोग से मुक्त (Leprosy-Cured)</b> • हाथ या पैर या अंगुलिया में विकृति • टेडानपन • शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे • हाथ या पैर या अंगुलियां सुन्न हो जाना 	<b>11. बौनापन (Dwarfism)</b> • व्यक्ति का कद व्यवस्क होन पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेमी या इससे कम होना 	<b>12. तेजाब हमला पीड़ित (Acid Attack Victim)</b> • शरीर के अंग हाथ/पैर/आंख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य/प्रभावित होना 
<b>13. मांसपेशी दुर्बिकार (Muscular Dystrophy)</b> • मांसपेशीयों में कमजोरी एवं विकृति 	<b>14. स्पेसिफिक लर्निंग डिफरेंसिटी (Specific Learning Disabilities)</b> • बोलने, श्रुत, लेख, लेखन, साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग में आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई 	<b>15. बौद्धिक निःशक्ता (Intellectual Disability)</b> • सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई • प्रतिदिन के कार्यों में सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई 
<b>16. मल्टिपल स्क्लेरोसिस (Multiple Sclerosis)</b> • दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी 	<b>17. पार्किंसंस रोग (Parkinsons Disease)</b> • हाथ/पांव/मांसपेशियों में जकड़न • संश्रिकता तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई 	<b>18. हीमोफीलिया/अधि रक्तस्त्राव (Hemophilia)</b> • चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव • रक्त बहना बन्द नहीं होना 
<b>19. थेलेसीमिया (Thalassemia)</b> • खून में हीमोग्लोबिन की विकृति • खून मात्रा कम होना 	<b>20. स्किल सेल डिजीज (Sickle Cell Disease)</b> • खून की कमी अत्यधिक कमी (रक्त अल्पता) • खून की कमी से शरीर के अंग/अवयव खराब होना 	<b>21. बहु निःशक्ता (Multiple Disabilities)</b> • दो या दो से अधिक निःशक्ता से त्रासित 



## ॐकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित दिव्यांग पतंग महोत्सव

ॐकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित दिव्यांग पतंग महोत्सव में 450 से अधिक विकलांग बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में ॐकार ट्रस्ट की ओर से दिव्यांग बच्चों को पतंग, डोरी, टोपी वितरित की गई जिसमें सुबह के नाश्ते व दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया. और इस कार्यक्रम में 450 बच्चों के अलावा माता-पिता को भी आमंत्रित किया गया था।





## दिव्यांग बच्चो नें गणतंत्र दिवस मनाया

अहमदाबाद के अखबार नगर नवा वाडज मे स्मित चाइल्ड एज्युकेशन ट्रस्ट के मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने गणतंत्र दिवस मनाया...और Friend Care फाउन्डेशन द्वारा प्रत्येक मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चो को एक शिक्षा किट और एक अच्छा दोपहर का भोजन दिया गया...





## दिव्यांगो का शॉल पहनाकर सन्मान किया गया

ठंड के मौसम में गरीब बेसहारा दिव्यांग भाई-बहनों को सम्मानित करने के लिए गायत्री दिव्यांग मानव मंडल का आयोजन किया गया। दिनांक 20-1-23 को शाम 4 बजे संस्थान के प्रांगण में श्री ब्रिजेशभाई जिंदाल ने सभी दिव्यांग भाई-बहनों एवं विधवाओं, वृद्ध एवं छोटे बच्चों की बैठी हुई माताओं को ठंड के मौसम में शॉल के साथ कवर देकर सम्मानित किया। भोजन में दाल, चावल, सब्जी-पूरी और लड्डू के साथ उपहार के रूप में कुरकुरे बिस्कुट चॉकलेट दिये गए।





## थाईलैंड में दिव्यांग बच्चों के साथ नृत्य महोत्सव

पहली बार अहमदाबाद और कपट्टंज के 10 विकलांग बच्चों ने थाईलैंड के डांस फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

नरेश पटेल द्वारा स्थापित रंगसागर परफॉर्मिंग आर्ट्स, विदेशों में संगीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है और निलेश पंचाल द्वारा प्रबंधित नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मानसिक रूप से विकलांग छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए काम करता है, दोनों विदेशों में झंडा फहराने के उद्देश्य से भारत की धरती पर भारत, थाईलैंड में दिव्यांग बच्चों के साथ नृत्य महोत्सव में भाग लेकर गुजरात और भारत का नाम रोशन किया है।

ये बच्चे अहमदाबाद के नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट और कपट्टंज के वीएस गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के थे। इस महोत्सव में 7 देशों भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कोरिया के सामान्य बच्चों के साथ गुजरात के विकलांग लाभार्थियों ने भाग लिया।

थाईलैंड के राजाभट विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा महोत्सव का सम्मान किया गया वहीं बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रत्येक बच्चे को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इन बच्चों द्वारा गरबा, शिव तांडव, गणेश स्तुति, राजस्थान नृत्य प्रस्तुत किया गया।





## दिव्यांग भाई बहनों का मैराथन दौड़

दिव्यांग भाई बहनों को नवलखी मैदान में आयोजित मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने के लिए गायत्री दिव्यांग मानव मंडल ने सुंदर आयोजन किया था। ८-१-२०२३ के दिन नवलखी मैदान में आयोजित मैराथन में हिस्सा लेने के लिए धांगध्रा, सुरेन्द्रनगर, अहमदाबाद, मोरबी, पालनपुर से आये दिव्यांग भाई बहनों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध की गई थी। वडोदरा के रेनारा और शिहोर तालुका के दिव्यांग भाई बहनों के सुबह के कार्यक्रम के कारण रात में वहां से निकलने के लिए यातायात का कोई साधन नहीं मिला था इसलिए गायत्री दिव्यांग मानव मंडल ने २०० लोगों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। दिव्यांग भाई बहन बिना किसी तकलीफ के अन्य लोगों की तरह मैराथन में हिस्सा लेकर जीवन में वे भी आगे बढ़ पाएं और जीवन का आनंद उठा सके इस हेतु गायत्री दिव्यांग मानव मंडल ने यह आयोजन किया था।

८-१-२०२३ के दिन प्रातः ५ बजे इन दिव्यांगों को नवलखी मैदान ले जाया गया था। इस मैराथन में हिस्सा लेकर नंबर प्राप्त करने वाले और अन्य दिव्यांगों का सम्मान किया गया था। सुरज शुक्ला नामक दिव्यांग ने प्रथम नंबर प्राप्त कर ५००० रूपए की पुरस्कार राशि अपने नाम की उन्हें स्वर्णपदक से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती रुकमणी देवी को भी स्वर्ण और नकद राशि से सम्मानित किया गया। रुकमणी देवी ने संस्था द्वारा दिव्यांगों के लिए आयोजित किये जानेवाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी, दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के संस्था के उद्देश्य के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी।





**अकार फाउण्डेशन ट्रस्ट  
(N.G.O.)**

**संचालित**

**अकार दिव्यांग ट्रेनिंग डे-केर सेन्टर**

**मानसिक दिव्यांग बच्चों के  
लिए निःशुल्क तालीम संस्था**

**शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे**

**सुमेल ५, हाउस नं.: ४८/डी, बिजनेस पार्क,  
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,  
अहमदाबाद-३८० ०१६  
मो.: 99749 55125, 99749 55365**